Nav Jyoti, Vol. 5, No. 10, January-June 2017 ISSN : 2249-7331

बाल मजदूरी : एक विडंबना
(समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ0 अन्जू*

सारांश

भारत में बालश्रम एक चिन्तनीय विषय है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बच्चे बालश्रम के लिये विवश प्रतीत होते है। साथ ही वैश्वीकरण आधुनिकीकरण, निजीकरण ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देकर बालश्रम को बढ़ावा दिया है। प्रस्तुत लेख में बालश्रम की समस्या एवं इसके समाधान की कार्यक्रमों को जानने का प्रयास है।

विकासशील देशों में हजारों बच्चे बहुत छोटी अवस्था से ही काम करना आरम्भ कर देते हैं। कभी–कभी उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर जबरदस्ती भी काम में लगा दिया जाता है। आंकड़े बताते है कि दुनिया में सबसे अधिक बालश्रमिक भारत में ही है। संभवतः देश में कोई भी ऐसा व्यवसाय नही है जिसमें बालश्रमिकों को न लगाया जाता हो। परिणाम स्वरूप बच्चे अपने स्वतंत्र एवं खुशहाल बचपन के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। कई बच्चे अपने माता–पिता के साथ बिना मजदूरी के भी कार्य करते हैं कुटीर उद्योगों में बच्चों की एक बड़ी संख्या कार्य कर रही है जैसे–कालीन उद्योग, माचिस उद्योग बीड़ी, हीरा कॉच पीतल, हौजरी, जरी और सिल्क उत्पादन, हथकरघा, कढाई का कार्य, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उत्पादन, चूड़ी बनाना, खेल का सामान बनाना, पटाखा फैक्ट्री या ईट के भट्टे जैसे खतरनाक स्थानों पर। इस प्रकार शिक्षा, भोजन पानी, और घर के अभाव के साथ–साथ कार्यस्थल पर उनका भावनात्मक एवं यौन उत्पीड़न भी होता है, जिसके कारण उनका बचपन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वयस्क होने पर इन बच्चों को खराब स्वास्थ्य और हीन भावना विरासत में मिलती है। इनमें से अधिकतर कार्य उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। जिसमें वे किसी न किसी रोग की चपेट में आ जाते है तथा आजीवन इनका परिणाम भुगतने पर विवश हो जाते हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों ने बालश्रम को परिभाषित करते हुए बताया है कि यदि किशोर या बच्चे ऐसे कार्यों में लगे है जो उनके स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करता है अथवा उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता है वह बालश्रम की परिधि में नही आता है, बल्कि इसे सकरात्मक समझा जा सकता है। इस प्रकार के हानिरहित कार्यकलाप में घर या बाहर माता–पिता की मदद करना, परिवार की सहायता करना, जेब खर्च हेतु स्कूल के बाद या छुट्टियों में धन अर्जित करना आदि गतिविधियां आती है। आई0एल0ओ0 का मत है कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों को कौशल तथा अनुभव प्रदान कर उनके नैसर्गिक विकास में योगदान करती है।

यूनिसेफ बालश्रम को परिभाषित करते हुए ''एक बच्चा जो बालश्रम'' गतिविधियों में लिप्त है, यदि उसकी आयु 5 वर्ष से 11 वर्ष से बीच है तथा वह एक घण्टा आर्थिक गतिविधियों या एक सप्ताह में 28 घण्टे घरेलू कार्य करता है, अथवा 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में यदि वह कम से कम 14 घण्टे आर्थिक गतिविधियों में या एक सप्ताह में कम से कम 42 घंटे आर्थिक गतिविधियों तथा घरेलू कार्यों में लगा है, बालश्रम के अन्तर्गत आता है। यूनिसेफ ने बाल श्रमिकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है–

* सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

- परिवार के कार्यरत
- परिवार के साथ घर से बाहर कार्यरत
- परिवार से अलग घर से बाहर कार्यरत [1]

संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनीसेफ) द्वारा 2005 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में 24.6 करोड़ बच्चे किसी न किसी प्रकार के श्रम करने को मजबूर हैं इनमें से 15.2 करोड़ एशिया, 7.6 करोड़ अफ्रीका तथा शेष 1.8 करोड़, बालश्रमिक लैटिन अमरीकी देशों व अन्य देशों में मौजूद हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाये तो पाकिस्तान में बनने वाली कालीनों के 80 प्रतिशत मजदूर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही है, जबकि इंडोनेशिया में तम्बाकू बनाते हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बच्चे टी–शर्ट बनाने वाले उद्योगों में कार्यरत है द0 अफ्रीका में तो हजारो बच्चे घरेलू नौकरों के रूप में काम करते हैं।

हमारे देश की कुल आबादी का 15.42 प्रतिशत बच्चे है और अन्य देशों की ही तरह भारत में भी बालश्रम की समस्या अत्यन्त गंभीर होती जा रही है। यूनेस्कों ने सबके लिये शिक्षा सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। बालश्रम करने वाले अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और उनमें भी लगभग 60 प्रतिशत 10 वर्ष से कम आयु के हैं।

व्यापार एवं व्यवसाय क्षेत्र में 23 प्रतिशत तथा घरेलू कार्यों में 37 प्रतिशत बाल श्रमिक कार्यरत है। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का सवाल है वहॉ उन बच्चों की संख्या अधिक है जो कैटीन, रेस्टोरेंट और फेरी लगाने में संलग्न है। कुछ बच्चें तो खतरनाक उद्योग में भी कार्यरत है। जैसे तमिलनाडु के कुछ जिलों में पटाखा और माचिस के कारखानों में लगभग 50,000 बच्चे कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कॉच कारखाने में लगभग 46,000 बच्चे और कालीनों के कारखानों में 1 लाख बच्चे काम कर रहे हैं। इसी तरह बनारस में 5,000 बच्चे रेशम बुनने के कार्य में तथा दिल्ली में 60,000 से अधिक बच्चे ढाबों या चाय की दुकानों पर कार्य कर रहे है। 1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1करोड़ 73 लाख बताई गई है। वही वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक यह संख्या 1 करोड़ 23 लाख है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 22 करोड़ है जो कुल आबादी की 22 प्रतिशत है। भारत में 2 करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्णकालिक श्रमिक के रूप में तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्यरत है।

देश में बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या और उनके शोषण को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न उद्योगों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखा है।

- माचिस एवं पटाखा निर्माण उद्योग (तमिलनाडू)
- डायमंड पॉलिशिंग उद्योग (गुजरात)
- कांच एवं चूड़ी उद्योग (उत्तर प्रदेश)
- पीतल के बर्तन एवं कलात्मक वस्तु (उत्तर प्रदेश)
- ताला एवं चाकू उद्योग (अलीगढ़)
- स्टेल उद्योग (मध्य प्रदेश)

बाल श्रम मुख्य दो क्षेत्रों में पाये जाते हैं–

असंगठित क्षेत्र– इसमें होटल, ढाबा, फैक्ट्ररी, दुकान वर्कशाप, हॉकर कचरा चुनना घर में नौकर का नाम आदि शामिल है।

संगठित क्षेत्र– कालीन बुनाई, दियासलाई, आतिशबाजी, हथकरघा, चमड़ा, कॉच, भवन निर्माण रत्न उद्योग तथा ताला उद्योग आदि में है।

भारत में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों में 50 प्रतिशत शारीरिक प्रताड़ना के शिकार है। इसमें से अधिकांश 14 वर्ष से कम उम्र के है और कई की उम्र 5 साल से भी कम है। यूनिसेफ की एक रिर्पोट में भी कहा गया है कि भारत में सड़कों पर घूमने वाले (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) 68.8 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रूप में शारीरिक प्रताड़ना के शिकार होते है।

गैर सरकारी संगठनों के अनुसार सात दिनें तक बिना किसी छुट्टी के काम करने वाले अधिकांश बच्चों की आमदनी 300 से 500 रूपये मासिक तक है। भारत सरकार के अनुसार बाल मजदूर की औसतन 22.25 रूपये दैनिक मिलते हैं।

देश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार 50.2 प्रतिशत बच्चे सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, 53.22 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। 21.90 प्रतिशत बच्चे गम्भीर यौन शोषण का शिकार होते है और 11.5 करोड़ बच्चे खतरनाक काम करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व में 5 से 11 वर्ष की उम्र में बाल श्रमिकों की संख्या 21.8 करोड़ है। चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू0 (क्राइ) की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एक तिहाई दिल्ली वासियों को बच्चों के कई घंण्टों तक काम करने से कोई परेशानी नहीं है। राजधानी में 50 फीसदी आबादी मानती है कि बच्चों को उनकी मेहनत के लिये कम भुगतान किया जाना चाहिये। बाल श्रम की समस्या का विकृत रूप बाल तस्करी की शक्ल में सामने आ रहा है। देश में गरीब बच्चे की खरीद विक्री का कारोबार तेजी से पनपा है।

बालश्रम सम्बन्धी प्रमुख अधिनियम

- 1901 खदान अधिनियम
- 1911 फैक्ट्ररी अधिनियम
- 1923 भारतीय खाद्य अधिनियम
- 1926 फैक्ट्ररी संशोधित अधिनियम
- 1932 चाय बागान मजदूर अधिनियम
- 1933 बाल बंधुआ श्रम अधिनियम
- 1938 बाल रेाजगार अधिनियम
- 1961 मोटर ट्रासपोर्ट अधिनियम
- 1966 बीड़ी और सिंगार मजदूर अधिनियम,

बच्चों के लिये संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

1	संविधान का अनुच्छेद 24	14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को किसी भी कारखाना,खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबन्ध
2	संविधान का अनुच्छेद 39 (ड़)	सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूप्योग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूत होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति को अनुकूल न हो।
3	संविधान का अनुच्छेद 39 (च)	सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हो तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।
4	संविधान का अनुच्छेद 45	14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
5	संविधान का अनुच्छेद 21 (क)	संविधान के 86 वे संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

6	भारतीय दण्ड संहिता धारा 82	7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
7	कारखाना अधिनियम 1948	बच्चों को अस्वस्थकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबंधित।
9	शिशु अधिनियम 1961	बच्चों के श्रम साध्य या खतरनाक कार्यों में सेवायोजन पर प्रतिबंध
10	राष्ट्रीय बाल आयोग (प्रस्तावित)	बच्चों के विकास या उनसे सम्बन्धित समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिये आवश्यक कदम उठाना।

निष्कर्ष

बालश्रम सम्बन्धी समस्या से निजात पाने के लिये सबको खुले मन से प्रयत्न करना होगा, सरकार को अपने द्वारा बनाये गये कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा। बाल मजदूरी के प्रमुख कारणों में गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी आरे कम मजदूरी दर प्रमुख है। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य पोषाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते कपड़े, मिट्टी का तेल आदि अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाये। बालश्रम उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नही है बल्कि बालश्रम को एक सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिये साथ ही इस दिशा में नीतियॉ एवं कार्यक्रम तैयार करने होंगे और नीतियों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. चंद्रा आर्य– बालश्रमः एक विडबंना–योजना 2012।
2. मयंक श्रीवास्तव– बाल मजदूरी एक अनुसुलझी समस्या योजना मई 2008।
3. सोनतके डी0आर0 एवं एस0एस0 पाठक, ''बालक श्रम प्रथा उन्मूलन'' केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड भारत, नई दिल्ली, 1996।